| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 12. Meghalaya | 1,335,819 | 1,076,345 | 80·58 |
| 13. Nagaland | 774,930 | 650,885 | 83·99 |
| 14. Orissa | 26,370,271 | 5,915,067 | 22·43 |
| 15. Punjab | 16,788,915 | .. | .. |
| 16. Rajasthan | 34,261,862 | 4,183,124 | 12·21 |
| 17. Sikkim | 316,385 | 73,623 | 23·27 |
| 18. Tamil Nadu | 48,408,077 | 520,226 | 1·07 |
| 19. Tripura | 2,053,058 | 583,920 | 28·44 |
| 20. Uttar Pradesh | 110,862,013 | 232,705 | 0·21 |
| 21. West Bengal | 54,580,647 | 3,070,672 | 5·63 |

NOTES :

1. @Excludes the population of areas under unlawful occupation of Pakistan and China where census could not be taken.

1. *This figure would appear to include high returns relating to certain communities with nomenclatures similar to those included in the list of Scheduled Tribes consequent on the renoval of area restrictions.

3. Census could not be held in Assam owing to disturbed conditions prevailing there at the time of 1981 Census.

**हरियाणा में आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, के अंतर्गत गिरफ्तारियां**

**1982. श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा सरकार द्वारा इस वर्ष 21 जून से अब तक आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत हिरासत में लिये गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा इन व्यक्तियों की पृष्ठभूमि क्या है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब)** : जुलाई से सितंबर, 1991 की अवधि के दौरान आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अधीन हरियाणा सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या 66 है। चूंकि अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी राज्य सरकारों द्वारा की जाती है, अतः गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के ब्यौरे तथा पृष्ठभूमि के बारे में केन्द्र सरकार सूचना नहीं रखती है। यह राज्य सरकारों से प्राप्त की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन गिरफ्तारियां**

**1983. श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कितने व्यक्ति निरुद्ध और कारागारों में बंद है; और